राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः— दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26/2023

01. श्री बाबूसिंह पिता इन्द्रसिंह रावत
02. श्री किशनसिंह पिता लूम्बसिंह रावत
03. श्री नरेन्द्रसिंह पिता लूम्बसिंह रावत
04. श्रीमति छगनीदेवी पत्नि लूम्बसिंह रावत
05. सुश्री ममता पुत्री लूम्बसिंह रावत
06. श्री लक्ष्मणसिंह पिता नन्दासिंह रावत
07. श्री भगवतसिंह पिता नन्दासिंह रावत
08. श्री ईश्वरसिंह पिता नन्दासिंह रावत
09. श्री मिठासिंह पिता नन्दासिंह रावत
10. श्री नारायणसिंह पिता नन्दासिंह रावत
11. श्री जगदीशसिंह पिता नन्दासिंह रावत

समस्त निवासीयन मायलाखेत नया घर बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

................................वादीगण

बनाम

01. श्री देवीसिंह पिता इन्द्रसिंह रावत
02. श्रीमति कमलादेवी पत्नि रामसिंह रावत
03. श्रीमति कैलाशी पुत्री रामसिंह रावत
04. श्रीमति पुष्पा पुत्री रामसिंह रावत
05. श्री बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह रावत
06. श्रीमति सुमित्रा पुत्री रामसिंह रावत
07. श्रीमति सोनू पुत्री रामसिंह रावत

समस्त निवासीयन मायलाखेत नया घर बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

08. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.... प्रतिवादीग

उपस्थितिः—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह व दिलीप सिंह
02. अप्रार्थी की ओर से स्वयं

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांकः— 04.06.2025

1. उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह ने न्यायालय में पेश कर निर्णय किया कि हम वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी मौजा ग्राम मायलाखेत पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद की जमाबंदी अतिम चौसाला आधार संवत् 2075—2078 जमाबंदी 2077 (2021) के अनुसार खाता संख्या 196 में खसरा संख्या 7210, 7263, 7268, 7324, 7343, 7355 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.0647, 0.0486, 0.0567, 0.2914, 0.3318 है0 किस्म क्रमशः बंजड, चाही 01, चाही 01, गैर

मु0 पाल, बंजड, बंजड कुल किता 06 रकबा 0.8175 है0 की आई हुई है। उपरोक्त आराजियात पूर्व में हमारे पूर्वज गांगा वल्द सूजा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा उनके दो पुत्र नंदा वल्द गांगा व इन्दा पुत्र गांगा थे। कालान्तर मे जब गांगा वल्द सूजा फौत हुए तो विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय सहवन से नंदा वल्द गांगा के सभी वारिसानों व इन्दा वल्द गांगा के दो पुत्रों का नाम दर्ज करना छोड़ दिया और केवल देवी सिंह, राम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह ने अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिए। उपरोक्त आराजी में विरासतन नंदा वल्द गांगा का 1/2 हक हिस्सा व इन्दा वल्द गांगा का 1/2 हक हिस्सा पैतृक भूमि होने के कारण जन्म से निहित था। मौके पर हम वादी संख्या 01 लगायत 05 व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का 1/2 हिस्से पर एवं वादी संख्या 06 लगायत 11 का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होकर वर्षो से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है एवं सभी काश्तकार भाई–बंटन बंटवारे के अनुसार मौखिक रूप से भौतिक एवं वास्तविक कब्जे मे पूर्व काल से काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड मे वादी संख्या 01 लगायत 05, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 06 लगायत 11 का 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं होकर केवल प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 07 के पूर्वज राम सिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होने से सामाजिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त कराने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 से कई बार निवेदन करने के बावजूद टालमटोल करते रहे तथा राजस्व न्यायालय में दावा पेश करने हेतु सलाह देते है। इसी कारण न्यायालय हाजा में वाद पत्र पेश कर सादर निवेदन है कि मौजा मायलाखेत पटवार हल्का बरार तहसील भीम के खाता संख्या 196 की भूमि खसरा संख्या 7210, 7263, 7268, 7324, 7343 एवं 7355 में वादी संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को 1/2 हिस्से का एवं वादी संख्या 06 लगायत 11 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश सादर फरमावें।

2. वाद पत्र को वाद जांच दिनांक 30.11.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन दिनांक 24.05.2023 को तामिल शुदा प्राप्त हुआ। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ने रूबरू गवाहान लिखित कथन किया कि हम हक हिस्से अनुसार वादीगणों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु सहमति देते है मौके पर सभी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्तकारी कर रहे है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर दिनांक 07.08.2024 को न्यायालय के बाहर आवाज लगाने पर कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6, 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र का खण्डन नहीं होने पर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष को ही तनकियात माना जाकर पत्रावली शहदत वादी में निर्धारित की गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 22.05.2025 को साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में पीडब्ल्यू 01 बाबू सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, पीडब्ल्यू 02 मीठा सिंह पुत्र नंदा सिंह, पीडब्ल्यू 03 भगवत सिंह पुत्र नंदा सिंह, पीडब्ल्यू 04 ईश्वर सिंह पुत्र नंदा सिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। उपस्थित गवाहन को शपथ दिलाई जाकर बयान कलमबद्ध किये गये। गवाहान ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पारिवारिक हक हिस्से अनुसार चाहे गए अनुतोष के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण को वादग्रस्त आराजियात में खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का निवेदन किया। साक्ष्य शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04.06.2025 को मुकर्रर की गई।

3. दिनांक 04.06.2025 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्षों पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर पारिवारिक हक हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा वर्षों से अपना मकान बनाकर हिस्सा अनुसार आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति उजर एतराज नहीं है तथा कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग लम्बे समय से सभी की जानकारी में है। अतः विवाद जैसी कोई स्थिति नही है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ने लिखित में हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु सहमति दी है तथा मौके पर किसी विवाद से इन्कार किया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण को पारिवारिक हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त किये जाने के आदेश फरमाये।

4. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल वाद पत्र, जमाबंदी, सजरा खानदान, गवाहों के बयानात प्रतिवादी संख्या 1,2,5 की लिखित सहमति का भली–भांति अध्ययन, अवलोकन किया। वकील वादी के बहस के तर्कों पर मनन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 की लिखित सहमति से यह स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त आराजियात गांगा वल्द सूजा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। गांगा वल्द सूजा के फौत होने पर विरासतन नामान्तकरण के दौरान उपरोक्त आराजी सभी वारिसानों के नाम दर्ज नहीं होकर केवल प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ता 07 के पूर्वज राम सिंह के नाम ही दर्ज हुई है जो सहवनीय त्रुटि नजर आती है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वाद पत्र काबिल स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा मायलाखेत पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद के खाता संख्या 196 में अंकित खसरा संख्या 7210, 7263, 7268, 7324, 7343, 7355 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.0647, 0.0486, 0.0567, 0.2914, 0.3318 है0 किस्म क्रमशः बंजड़, चाही 01, चाही 01, गैर मु0 पाल, बंजड, बंजड़ कुल किता 06 रकबा 0.8175 है0 में वादी संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को 1/2 हक हिस्से का एवं वादी संख्या 06 लगायत 11 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर मुर्तिब व मुकम्मल हो। तदनुसार तहसीलदार भीम राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार भीम को पालना हेतु तहरीर जाहिर हों। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम

पीठासीन अधिकारीः— दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26/2023

01. श्री बाबूसिंह पिता इन्द्रसिंह रावत
02. श्री किशनसिंह पिता लूम्बसिंह रावत
03. श्री नरेन्द्रसिंह पिता लूम्बसिंह रावत
04. श्रीमति छगनीदेवी पत्नि लूम्बसिंह रावत
05. सुश्री ममता पुत्री लूम्बसिंह रावत
06. श्री लक्ष्मणसिंह पिता नन्दासिंह रावत
07. श्री भगवतसिंह पिता नन्दासिंह रावत
08. श्री ईश्वरसिंह पिता नन्दासिंह रावत
09. श्री मिठासिंह पिता नन्दासिंह रावत
10. श्री नारायणसिंह पिता नन्दासिंह रावत
11. श्री जगदीशसिंह पिता नन्दासिंह रावत

समस्त निवासीयन मायलाखेत नया घर बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

...............................वादीगण

बनाम

01. श्री देवीसिंह पिता इन्द्रसिंह रावत
02. श्रीमति कमलादेवी पत्नि रामसिंह रावत
03. श्रीमति कैलाशी पुत्री रामसिंह रावत
04. श्रीमति पुष्पा पुत्री रामसिंह रावत
05. श्री बलवीरसिंह पुत्र रामसिंह रावत
06. श्रीमति सुमित्रा पुत्री रामसिंह रावत
07. श्रीमति सोनू पुत्री रामसिंह रावत

समस्त निवासीयन मायलाखेत नया घर बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द

08. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.....................प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीरसिंह व श्री दिलीपकुमार एवं स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में तथा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 04.06.2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मायलाखेत पटवार मण्डल बरार के खसरा नंबर 7210, 7263 7268, 7324, 7343, 7355 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.0647, 0.0486, 0.0567, 0.2914, 0.3318 है0 में जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि के स्थान पर वादी संख्या 01 लगायत 05 एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 06 लगायत 11 का 1/2 हिस्सा नाम दर्ज किया जावे। तद्नानुसार हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

यह डिक्री आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
भीम

वादी			प्रतिवादी
	रूपया		रूपया
जोड		जोड	

सहायक कलेक्टर
भीम